न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 23 / 2023
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 15.06.2023

निर्णय दिनांक : 23.03.2025

उनवान

1. उदयलाल पुत्र देवकिशन जाति ढोली
2. कालू पुत्र देवकिशन जाति ढोली
3. देउ पुत्री देवकिशन जाति ढोली
4. मदन पुत्र देवकिशन जाति ढोली

सभी निवासीयान लीकी, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलादेवी पुत्री पन्ना जाति ढोली
2. पप्पु पुत्र पन्ना जाति ढोली
3. मोहन पुत्र पन्ना जाति ढोली
4. पटवारी साहब, पटवार हल्का लीकी, तहसील आमेट जिला राजसमंद
5. श्रीमान् उप पंजीयक साहब, उपपंजीयन कार्यालय आमेट जिला राजसमंद
6. राजस्थान राज्य श्रीमान् तहसीलदार आमेट, जिला राजसमंद

.....विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता रतनलाल रावत
विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से :– एकपक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव लीकी पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 210 पुराना 200 के आराजी नम्बर 273, 274, 275, 779, 780, 841, 844 से 848 कुल किता 11 रकबा 1.8400 हैक्टेयर संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि भूमियां स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1 / 10–1 / 10 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से 03 मौके पर काबिज है एवं उसी अनुसार कृषि भूमियो का उपयोग उपभोग करते आये है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि होकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से तथा कब्जेशुदा जमीन पर लाखो रूपये व्यय कर भूमि को उपजाऊ बनाया है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे है। विपक्षी संख्या 01 से 03 ने

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि का बिना विभाजन कराये ही भूमियां अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है, जिस हेतु विपक्षी संख्या 01 से 03 मौके पर अजनबी लोगों को जमीन लाकर दिखा रहे है, जिसका उन्हे कोई विधिक हक, अधिकार नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमिया जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त शामलाती है, उक्त भूमियो का बिना विधिवत विभाजन कराये उक्त भूमियो को विपक्षी संख्या 01, 02, 03 अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है, एवं अन्य लोगों विक्रय करने की धमकीया दे रहे है, ऐसी स्थिति मे जब तक उक्त वर्णित भूमियो का विधिवत विभाजन नही हो जावे तब तक विपक्षी संख्या 01 से 03 उक्त भूमियो को किसी अजनबी केता को विकय नही करे, कृषि भूमियो को खुर्द बुर्द नही करे, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा, रूकावट पैदा नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही उक्त कार्य अपने नोकर, एजेन्ट, कारीगर, आदि से ही करावे, इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य अब संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नही रहा है एवं संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करना भी संभव नही रहा है, भूमियां संयुक्त खाते मे होने से भूमियो का सही ढंग से विकास भी नही हो पा रहा है, लगान जमा कराने मे भी परेशानी होती है। विपक्षी संख्या 1 से 3 कर प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप करते है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि मे अपने हक, हिस्से की भूमि का विकास करने में परेशानी हो रही है, इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से एवं "मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के अनुसार नियमानुसार विभाजन कराया जाना एवं अलग अलग विभाजन अनुसार खाते अंकित कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, जिसके लिए यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वर्णित कृषि भूमियो मे विपक्षी 01, 02, 03 प्रार्थीगण को धमकीया दे रहे है कि वो संयुक्त शामलाती भूमियो को खुर्द–बुर्द कर देगें, अन्य को हस्तान्तरित कर देगें, जिसका विपक्षीगण को कोई हक, अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमियो का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जावे तब तक प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, दखलन्दाजी, हस्ताक्षेप नही करे, न ही अपने नोकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावे, प्रार्थी को आवागमन से बाधित नही करे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि विपक्षीगण द्वारा जमीन का बिना विभाजन कराये ही जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया गया या अन्य को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कदापि सम्भव नही होगी। वादग्रस्त भूमियो मे खातेदार केसी पत्नी देवकिशन जी जाति ढोली निवासी लीकी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए उन्हे वाद मे पक्षकार नही बकाया गया है, जिनके विधिक वारिशान प्रार्थीगण ही है, परन्तु प्रार्थीगण के नाम पर अभी तक राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरकरण नही खुला है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि जब तक वादग्रस्त भूमियो का विधिवत विभाजन नही हो जावे तब तक

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी ... जिला-राजसमन्द

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

विपक्षीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा, रूकाटव, पैदा नही करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अपने किसी नोकर, एजेन्ट, मजदुर आदि से ही करावें, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण दर्ज नही करे, नामान्तरकरण तस्दीक नही करे, फैसल नही करे एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01, 02, 03 की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से कराई गयी जिसकी प्राप्ति रसीद एक माह उपरान्त प्राप्त नही जिससे आदेश 05 नियम 09(ग) सीपीसी के तहत् एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से 03 मौके पर काबिज है एवं उसी अनुसार कृषि भूमियो का उपयोग उपभोग करते आये है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तथा कब्जेशुदा जमीन पर लाखो रूपये व्यय कर भूमि को उपजाऊ बनाया है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे है। विपक्षी संख्या 01 से 03 ने संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि का बिना विभाजन कराये ही भूमियां अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति मे जब तक उक्त वर्णित भूमियो का विधिवत विभाजन नही हो जावे तब तक विपक्षी संख्या 01 से 03 उक्त भूमियो को किसी अजनबी केता को विकय नही करे, कृषि भूमियो को खुर्द बुर्द नही करे, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा, रूकावट पैदा नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही उक्त कार्य अपने नोकर, एजेन्ट, कारीगर, आदि से ही करावे, इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव लीकी पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 210 पुराना 200 के आराजी नम्बर 273, 274, 275, 779, 780, 841, 844 से 848 कुल किता 11 रकबा 1.8400 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद 33/2023 के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय खुला दिनांक **26.03.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)